न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.- 04./2024

सरबती पत्नी लीलूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बायं तहसील तारानगर जिला चूरू।

— प्रार्थीनी —

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

— अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 09/01/24

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा बांय तहसील तारानगर के खसरा सं. 1476/1026 तादादी 3.7556 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीनी का नाम सरवती अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीनी का नाम सरबती सही हैं। प्रार्थीनी के आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीनी का नाम सरबती है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीनी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषि भूमि रोही मौजा बांय तहसील तारानगर के खसरा सं. 1476/1026 तादादी 3.7556 हेक्ट. में प्रार्थीनी का नाम सरबती किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई रिपोर्ट भू.अ.नि. बांय के अनुसार प्रार्थीनी सरबती राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थीनी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीनी सरवती के स्थान पर सरबती करवाना चाहाती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी सरवती दर्ज है। अतः प्रार्थीनी सरवती के स्थान पर सरबती दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि भू.अ.नि. बांय की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा बांय तहसील तारानगर के खसरा सं. 1476/1026 तादादी 3.7556 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि **सरवती** Delete कर इसके स्थान पर **सरबती** दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान कियें जातें है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/1/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)